

26/66  
24

पत्रावली (पृष्ठ 30) डिमांडा/ 28/06/2022  
बुजेश कुमार (पृष्ठ 30)  
उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा

28/06  
24

पत्रावली पेश हुयी । पत्रावली में बहस सुनी गई दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करतें हुये कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावें। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबित राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम सुलताना का बास , पटवार हल्का नरहड़ के भूमि खसरा नं0 321 रकबा 3.85 है0, खसरा नं0 479 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 542/322 रकबा 0.47 है0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबित सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढी स्वीकार कियें जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रा0 पत्र 66/2022

निर्णय दिनांक 28.06.2024

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चिड़ावा को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम सुलताना का बास में स्थित खसरा नं0 321 रकबा 3.85 है0, खसरा नं0 479 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 542/322 रकबा 0.47 है0 की प्रार्थी व सहखातेदार व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबित सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2022 पत्थरगढी की जावे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवानें अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे। तहसीलदार चिड़ावा को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।  
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बुजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

चिड़ावा

उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा